Ph. 0291 – 2431942 , website https://department.rajasthan.gov.in/home/dptHome/76 GSTIN 08JDHS01576B1D5 mail – secsgwdjdpr@gmail.com

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (केन्द्रीय भण्डार) भू जल विभाग, औद्योगिक क्षेत्र (हिदूस्तान रेडियटर्स के सामने), न्यू पावर हाउस रोड,जोधपुर 342 003

नीलामी नोटिस नं. 2 – दिनांक 15.07.2026

अनसर्विसेबल – 2 विस्फोटकीय इकाईयां एवं 1 एक्सप्लोजीव वैन मय संबंधित स्पेयर पार्टस/सहा. अभि. उदयपुर यार्ड /26–27/दिनांक 15.06.2026 मार्फत जेम फोरवर्ड ऑक्शन आई.डी. – ....

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भू जल विभाग (केन्द्रिय भण्डार), जोधपुर द्वारा **"कार्यालय सहायक अभियन्ता, भू जल विभाग, उदयपुर"** में भंडारित 2 अकार्यशील ब्लास्टिंग यूनिट्स एवं 1 अकार्यशील एक्सप्लोजीव वैन ;नदेमतअपबमंइसम अमीपबसमे ` `बतंचद्ध मय संबधित स्पयेर पार्टस को स्क्रेप के रुप में म . ।नबजपवदए ळमड च्वतजंस के मार्फत निलाम किया जा रहा है। यह निलामी ळमड च्वतजंस पर थ्वतूंतक ।नबजपवद से वेबसाईट ीजजचेरूध्धवितूंतकंनबजपवदण्हमउण्हवअण्पदध् मचतवबनतमध्ीवउम पर प्रकाशित है, इच्छूक बोलीदाता इस वेबसाईट पर ही ऑनलाईन निलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है तथा अन्य सूचनाएं भी इस वेबसाईट पर देखी जा सकती है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1	GeM Forward Auction website	:-	https://forwardauction.gem.gov.in/eprocure/home
2	वेबसाईट जिस पर ऑनलाईन ऑक्शन में भाग लिया जाना है	:-	
3	SPPP Portal website	:-	http://www. sppp.rajasthan. gov.in
4	निलामी सामग्री से संबधित लोटवार सूचना		

लोट नं. एवं लोट का नाम	लोकेशन एवं कोन्टेक्ट नं.	ई.एम.डी. राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.)	इंक्रिमेन्टल वैल्यू (रु.)
Lot No.1: *2 विस्फोटकीय इकाईयां मय कंप्रेसर व मात्र–1 कंप्रेसर, एक्स्पलोजीव वैन स्क्रेप मय संबंधित स्पेयर पार्टस के रुप में*	कार्यालय सहायक अभियन्ता, भू जल विभाग, चित्रकूट नगर, भुवाना बायपास, उदयपुर–313001 9928438009/7014387402	10,660/-	4,54,644/-	3,000/-

5	EMD को अपलोड/फिजीकल जमा कराने की अंतिम तिथी व समय	जेम पोर्टल पर अपलोड करना	:-	18.08.2026 AT 04.00PM
		फिजीकल जमा कराना (ड्रोप बोक्स/टेण्डर बोक्स में डालना)	:-	18.08.2026 AT 04.00PM
6	बोली प्रारम्भ एवं अंत की दिनांक व समय	:-	18.08.2026 @ 6.00 PM से 20.08.2026 @ 02:00 PM तक जेम पोर्टल के उपरोक्त फोरवर्ड ऑक्शन आई. डी. न. के अनुसार उपलब्ध समय तथा बोली एक्सटेन्शन के प्रावधानों के अनुसार।	
7	नियम	:-	GeM की शर्तो के अनुसार	

नोटः– उपरोक्त निलामी नोटिस को विभागीय वेबसाईट website https://department.rajasthan.gov.in/home/dptHome/76 पर भी देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियन्ता
(केन्द्रिय भण्डार)
भू जल विभाग, जोधपुर

IA 20/07/2026 Sr. Hyd DSPC for publication upon deptt. website

No. Auction unserviceable vehicle 2023-24 /se/cs/gwd/ju/23-00855/159 Date - **esigned**

Copy to 1. The CE 2. The CAO 3. The AO(HQ) 4. The Sr. Hyd. DSPC for publication upon depttl. Website. 5. All EEs for publicity 6.The EE (C/S) with a direction to watch and arrange opening of the auction result on prescribed date alongwith AO, AAO(C/S) & Shauryaverdhan Singh. After opening of the auction results needs to prepare agenda and to submit in the competent committee. 7. SE Udaipur 8. EE Udaipur 9. AEN, Udaipur/ AEn Chittorgarh/A.En. Bhilwara 10.Notice Board

RajKaj Ref No.: 22847853

Digitally signed by HANSRAJ BHATT
Designation: Superintending Engineer
Date: 2026-07-15 19:12:20

Ph. 0291 – 2431942 , website https://department.rajasthan.gov.in/home/dptHome/76 GSTIN 08JDHS01576B1D5 mail – secsgwdjdpr@gmail.com

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (केन्द्रीय भण्डार) भू जल विभाग, औद्योगिक क्षेत्र (हिदूस्तान रेडियटर्स के सामने), न्यू पावर हाउस रोड,जोधपुर 342 003

नीलामी नोटिस नं. 2– दिनांक 15.07.2026

अनसर्विसेबल – 2 विस्फोटकीय इकाईयां एवं 1 एक्सप्लोजीव वैन मय संबंधित स्पेयर पार्टस/सहा. अभि. उदयपुर यार्ड /26–27/दिनांक 15.06.2026 मार्फत जेम फोरवर्ड ऑक्शन आई.डी. – ....

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भू जल विभाग (केन्द्रिय भण्डार), जोधपुर द्वारा GeM Portal पर Forward Auction के प्रकाशन की तारीख एवं समय से निम्न प्रकार के एक जीप वाहन की स्क्रेप के रुप में नीलामी जेम पोर्टल https://gem.gov.in पर Forward Auction के मार्फत online bidding प्रक्रिया से की जायेगी।

लोट नं.	लोट का नाम	जेम फोरवर्ड ऑक्शन आई.डी.	आरक्षित मूल्य (रु.)	इन्क्रिमेन्टल वैल्यू (रु.)	अमानत राशि (रु.)	विशेष पात्रता
	सामग्री की लोकेशन एवं संपर्क नं. – कार्यालय सहायक अभियन्ता, भू जल विभाग, चित्रकूट नगर, भुवाना बायपास, उदयपुर–313001 9928438009/7014387402					
1	**Lot No.1**: *2 विस्फोटकीय इकाईयां मय कंप्रेसर व मात्र–1 कंप्रेसर, एक्स्पलोजीव वैन स्क्रेप मय संबंधित स्पेयर पार्टस के रुप में*	जेम पोर्टल द्वारा आवंटन के अनुसार	4,54,644/-	3,000/-	10,660/-	–

इच्छुक खरीददार उपरोक्त सामग्री का निरीक्षण संबधित कार्यालय में GeM Portal पर Forward Auction के प्रकाशन की तारीख के बाद से प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कर सकते है। निलामी की शर्ते व नियम जेम पोर्टल पर फॉरवर्ड ऑक्शन के लिए निर्धारित मापदण्डो एवं शर्तो के अनुरुप रहेंगें इसके अतिरिक्त विभाग की शर्ते निम्नानुसार है।

1. सामग्री की लोकेशन – उपरोक्तानुसार तालीका में उल्लेख के अनुसार।
2. सूचित रहे कि उपरोक्त वाहन की निलामी "जैसा है जहां है" हालात में स्क्रेप के रुप में उपरोक्तानुसार एक लोट में की जावेगी ।
3. ज्ञातव्य रहे कि वाहन की नीलामी लोट वार की जा रही है न कि आईटम/संख्या वार अतः बोलीदाता लोट के अनुसार बोली लगावे एवं वाहन की डिलीवरी लोट के अनुसार ही की जावेगी न कि आईटम/संख्या वार। अतः सफल बोलीदाता लोट विशेष की प्राप्ति का दावा करने के अतिरिक्त किसी आईटम विशेष एवं आईटम की संख्या की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से किया गया दावा मान्य नहीं होगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता, का यह दायित्व रहेगा कि बोली लगाने से पूर्व नीलामी की शर्ते व नीलाम होने वाले लोट की पूरी जानकारी प्राप्त करके तथा यथा संभव लोट का मौका मुआवयना करके ही बोली लगावे।

RajKaj Ref No.: 22847853

Digitally signed by HANSRAJ BHATT
Designation: Superintending Engineer
Date: 2026-07-15 19:12:20

5. प्रत्येक ईच्छूक बोलीदाता को नीलामी शुरू होने से पूर्व लोट के लिए निर्धारित अमानत राशि डी.डी./बैंकर चैक – *"Superintending Engineer (Central Store), Ground Water Department, Jodhpur payable at Jodhpur* के नाम Physically कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (केन्द्रीय भंडार), भू जल विभाग, न्यू पावर हाऊस रोड, हिन्दूस्तान रेडियेटर के सामने, जोधपुर 342003 में जमा करवानी (डाक के जरीये अथवा ड्रोप बोक्स में) अनिवार्य है। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त अथवा त्रुटियूक्त डी.डी./बैंकर चैक कन्सिडर नहीं किया जावेगा एवं वापस लौटा दिया जावेगा। सही डी.डी./बैंकर चैक निर्धारित समय पर प्राप्त होने तथा जेम पर अपलोड किये जाने पर ही जेम पर बोलीदाता को बोली में भाग लिए जाने हेतु अनुमति दी जावेगी।

6. संबधित बोलीदाता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति अपलोड की जानी है।

7. अमानत राशि का डी.डी./बैकंर चैक फिजीकल मोड में इस कार्यालय में जमा कराये जाने की अंतिम दिनांक तथा समय GeM Portal पर Forward Auction Notice के अनुसार रहेगी। इस समय के बाद प्राप्त डी.डी./बैकंर चैक को कन्सिडर नहीं किया जावेगा एवं ऐसे बोलीदाता को बोली में भाग लिए जाने हेतु अनुमति दी जावेगी।

8. ऐसे बोलीदाताओं जिनके द्वारा निर्धारित अमानत राशि फिजीकली जमा करवा दी जाती है परन्तु उनके द्वारा ऑनलाईन बोली में भाग लेने हेतु जेम पोर्टल पर वांछित कार्यवही समय रहते पूर्ण नहीं किये जा सकने से उनको अमानत राशि लौटा दी जावेगी क्योकि ऐसे बोलीदाता जेम पर ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध नहीं पाये जाते है।

9. निलामी के दौरान किसी भी बोलीदाता को बोली से रोके जाने, उच्चतम बोली को स्वीकार करने अथवा नहीं करने एवं नीलामी को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं विभाग इसके लिये कारण बताने को बाध्य नहीं होगा।

10. ज्ञातव्य रहे कि जेम पर लगने वाली बोली राशि जी.एस.टी. रहित रहेगी अर्थात बोलीदाताओं द्वारा लगाई जाने वाली बोली राशि पर नियमानुसार लागू जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगी अतः इस हिसाब से बोलीदाता बोली लगावें।

11. नीलाम किये गये वाहन पर राज्य सरकार के नियमानुसार जी.एस.टी. जमा करना अनिवार्य है अतः निर्धारित जी.एस.टी. राशि का पृथक से डी.डी./बैंकर चैक "अधीक्षण अभियन्ता (के.भण्डार), भू जल विभाग, जोधपुर" के नाम एवं जोधपुर देय जमा करवाना होगा अथवा बोलीदाता स्वयं इस राशि विशेष को विभाग द्वारा उक्त विक्रय की गई सामग्री के पेटे देय जी.एस.टी. सीधे ही राजकोष में जमा कराई जाकर चालान की प्रति इस कार्यालय को सुपुर्द करनी होगी।

12. सफल एवं स्वीकृत बोलीदाता को GeM पर निर्धारित Transaction charges अपने स्तर पर जमा करवाये जाकर यह राशि जमा कराये जाने का प्रमाण विभाग को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है इसके पश्चात ही अमानत राशि लौटाई जावेगी।

13. GeM Portal पर Forward Auction में प्राप्त एवं स्वीकृत बोली की राशि को स्वीकार किये जाने की तिथि से जेम पर जारी Intimation Letter में उल्लेखित अवधि में जमा करानी होगी। इस राशि के जमा कराये जाने से पूर्व अथवा जमा कराये जाने के साथ इस राशि पर लागू जी.एस.टी. जमा कराई जानी अनिवार्य है। अन्यथा स्थिति में जेम के प्रावधानों एवं शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. निर्धारित अवधि में अगर कोई बोलीदाता जिसके हक में अंतिम बोली विभाग द्वारा स्वीकार की गई है राशि जमा कराने में असफल होने की स्थिति में संबंधित बोलीदाता की अमानत राशि जेम फोरवर्ड ऑक्शन की शर्तो के अनुसार जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी से संबंधित माल का अधिकार पुनः विभाग का हो जाएगा इसके साथ ही ऐसे बोलीदाता को आगामी नीलामीयों से डी–बार किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

15. बोली के दौरान एकदम से ऐसी असाधारण/असामान्य (abnormal) बोली जोकि निलामी प्रकिया को बिगाडे जाने की नियत से लगाई गई है की परिस्थिति में ऐसी

RajKaj Ref No.:
22847853

Digitally signed by
मनोज बोथरा
Designation:
Superintending Engineer
Date: 2026-07-15 19:12:20

को अस्वीकार किया जाकर ऐसे बोलीदाता को आगे बोली लगाये जाने से जेम पोर्टल पर प्रतिबंधित किये जाने के साथ साथ अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

16. जेम पोर्टल से क्रियेटेड इंटिमेशन लेटर के अनुसार सामग्री की राशि (डी.डी. / बैंकर चैक : अधीक्षण अभियन्ता – केन्द्रीय भंडार, भू जल विभाग, जोधपुर के नाम अथवा रोकड़ अथवा कार्यालय द्वारा जनरेटेड ई – चालान के मार्फत), जी.एस.टी. चालान की हस्ताक्षरित एवं मोहर सहित प्रति तथा जेम Transaction charges अपने को जमा कराये जाने के प्रमाण हेतु हस्ताक्षरित एवं मोहर सहित दस्तावेज इस कार्यालय में फिजीकली जमा कराये जाने पर ही सामग्री की डिलीवरी संबधित पत्र जारी किया जावेगा।

17. माल को उठाने की अवधि जेम पर निर्धारित अवधि तथा जेम इंटिमेशन लेटर के अनुसार होगी इस अवधि में वांछित कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने पर जेम फोरवर्ड ऑक्शन की शर्तो में निर्धारित पेनल्टी, डेमरेज शूल्क आदि की सूचना दी जावेगी एवं वांछित पेनल्टी, डेमरेज शूल्क आदि जमा कराये जाने के लिए सूचित अवधि तथा जेम फोरवर्ड ऑक्शन की शर्तो के अनुसार वांछित कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने पर अमानत राशि जब्त की जाकर सामग्री को अधिग्रहित किये जाने के साथ अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

18. माल की सुपुर्दगी के समय सम्बन्धित बोलीदाता जिसके नाम बोली स्वीकृत की गई है, स्वयं उपस्थित होकर सामान की प्राप्ति करेगा, यदि किसी कारणवश वह स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता तो अपने प्रतिनिधि के नाम अधिकार पत्र अधिकृत प्रतिनिधि (फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर) द्वारा डिलेवरी प्राप्त की जा सकेगी।

19. नीलामी के दौरान उत्पन्न विवाद के लिये विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

20. नीलामी के उपरान्त, सामान लिफ्टिंग / डिलवरी के दौरान उत्पन्न विवाद के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय मान्य होगा।

21. नीलामी कार्यक्रम का विस्तृत विवरण जेम फोरवर्ड ऑक्शन पर सभी बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध है, निलामी की अवधि को परिस्थिति अनुसार घटाने बढाने का अधिकार विभाग का होगा।

22. सम्बन्धित बोलीदाता का जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जी.एस.टी. में अपंजीकृत फर्मे इस नीलामी में भाग नही ले सकेंगे। विभाग के सम्बन्धित कार्यालय "अधीक्षण अभियन्ता (के.भण्डार), भू जल विभाग, जोधपुर" के जी.एस.टी. नं. 08JDHS01576B1D5 (08जेडीएचएस01576बी1डी5) है।

23. प्रत्येक बोलीदाता को अमानत राशि जमा कराने के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराये जाने अनिवार्य है, एवं इन दस्तावेजो को अपलोड किया जाना भी अनिवार्य है अन्यथा स्थिति में बोलीदाता को बोली में भाग लेने के लिए कन्सिडर नहीं किया जावेगा।
   (1) बोलीदाता की पहचान से सम्बन्धित फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतिया यथा– आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट आदि।
   (2) बोलीदाता के स्थाई निवास पते के सम्बन्ध में दस्तावेज की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतिया यथा– बिजली, पानी, टेलीफोन, बिल आदि।
   (3) फर्म, कंपनी एवं संस्था की और से निलामी में भाग लेने हेतु सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतिया एवं इस प्रकार की संस्था की तरफ से बोली में भाग लेने हेतु अधिकृत व्यक्ति के नाम मूल अधिकार पत्र।
   (4) बोलीदाता के जी.एस.टी. नं. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

24. नीलामी से संबंधित यदि कोई न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर शहर रहेगा।

25. किसी भी बोलीदाता को वाहन की RC(Registration Certificate) उपलब्ध नही करवाई जायेगी, चूंकी वाहन 15 वर्ष से पुराना है अतः वाहन की नीलामी में स्क्रेप पॉलिसी का ध्यान रखते हुए ही भाग लिया जाये।

26. सफलतम बोलीदाता को राशि रु. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अगर उक्त निलामी में बेचे जा रहे वाहन का

Digitally signed by
HANSRAJ BHATT
Designation:
Superintending Engineer
Date: 2026-07-15 19:12:20

RajKaj Ref No.:
22847853

उपयोग किसी भी अवैधानिक तरीके से किया जाता है और ऐसा पाया जाने पर किसी भी प्रकार की कानूनी अथवा पुलिस कार्यवाही होती है तो ऐसी स्थिति के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं होकर खरीददार स्वयं जिम्मेदार होगा।

27. ज्ञातव्य रहे कि उक्त वाहन की आर.सी. नहीं दी जावेगी अर्थात वाहन के रुप में खरीददार का कोई मालिकाना हक नहीं होगा, खरीददार इस वाहन को स्क्रेप के रुप में खरीद रहा है।

28. जेम फारवर्ड ऑक्शन के बिड एवं इस निलामी नोटिस को एस.पी.पी.पी. पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in/एवं विभागीय वेबसाईट https://department.rajasthan.gov.in/home/dptHome/76 पर भी देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियन्ता
(केन्द्रिय भण्डार)
भू जल विभाग, जोधपुर

RajKaj Ref No.:
22847853

Digitally signed by
HANSRAJ BHATT
Designation:
Superintending Engineer
Date: 2026-07-15 19:12:20